उप संभागीय परिवहन कार्यालय भदोही

पत्रांक /सा0प्र0/स0सु0/2020-21 दिनांक 30.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59,1988) की धारा -112 की उप धारा (2) मे प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सडक अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित मे मोटरयानों /विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उप धारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से सुतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा-112 की उप धारा (2) के प्रविधानो के अनुसरण मे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.02018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित मे उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम ,1988 (अधिनियम संख्या -59, 1988) की धारा -112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भदोही जनपद होकर निकलने /चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रो मे मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान(कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणीअनुसार निबंधित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ4,5 एवं 6 को छोडकर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	[illegible] दुग्धीमार्ग ([illegible]मार्ग सं0 5)	धौरहरा से टेढवा	40किमी प्रतिघंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
2	वाराणसी भदोही गोपीगंज (राज्य मार्ग सं0 87)	कन्धिया से गोपीगंज	40किमी प्रतिघंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
3	मीरजापुर गोपीगंज मार्ग(प्रमुख जिला [illegible])	नरउर से गोपीगंज	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
4	[illegible] बाईपास मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	धौरहरा से हरियाँव	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
5	केवलापुर सेमराध मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	केवलापुर से सेमराध	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
6	ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	ज्ञानपुर से दुर्गागंज	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
7	[illegible]गंज धनतुलसी	जंगीगंज से	40.किमी	60.किमी प्रति	60.किमी प्रति	50.किमी प्रति घंटा

Scanned by CamScanner

	मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	धनतुलसी	प्रति घंटा	घंटा	घंटा	
8	भदोही दुर्गागंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	भदोही से दुर्गागंज	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
9	गोपीगंज पड़ाव मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	गोपीगंज से पड़ाव	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान(कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निर्बंधित रहेगी	यान की श्रेणीअनुसार निर्बंधित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
10	गोपीगंज रामपुरघाटमार्ग (अन्य जिलामार्ग)	गोपीगंज से रामपुरघाट	40किमी प्रतिघंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
11	भदोही रेलवे फीडरमार्ग (अन्य जिला मार्ग)	भदोही से रेलवे फीडर	40किमी प्रतिघंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
12	सहसेपुरखगहरिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	सहसेपुर से खगहरिया	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
13	महराजगंजपरसीपुर मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	महराजगंज से परसीपुर	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
14	नेवाजी सेमराधमार्ग (अन्य जिला मार्ग)	नेवाजी से सेमराध	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
15	ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	ज्ञानपुर से दुर्गागंज	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
16	जी0टी0रोड से औराई चिनीगिल मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	जी0टी0रोड से औराई चिनीगिल	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
17	गिराई दानूपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	गिराई से दानूपुर	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
18	गंगापटटीबेरवॉपहाडपुर मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	गंगापटटी से बेरवॉपहाडपुर	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
19	पूरेमान अकोढा मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	पूरेमान से अकोढा	40किमी प्रतिघंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
20	मोढ सरपतहाँ मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	मोढ से सरपतहाँ	40किमी प्रतिघंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
21	बेलहुआ रोही अकोढा मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	बेलहुआ से अकोढा	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
22	भदोही अ0ट्रैफिक डाईवर्जन(अन्य जिला मार्ग)	कुरियरा से फत्तूपुर	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
23	पाली सुरियावॉ मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	पाली से सुरियावॉ	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
24	जी0टी0रोड से गिर्दबड़गॉव मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	कटकापड़ावसे गिर्दबड़गॉव	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
25	सुरियावॉ कलिंजरा मार्ग(अन्य जिला मार्ग)	सुरियावॉ से कलिंजरा	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
26	ज्ञानपुर असनाव बगनौटी मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	ज्ञानपुर से बगनौटी	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा
27	जी0टी0रोड से माधोसिंहमार्ग(अन्य जिला मार्ग)	माधो सिंह से खमहरिया	40.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	60.किमी प्रति घंटा	50.किमी प्रति घंटा

Scanned by CamScanner

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा

1. मोटरयान अधिनियम 1988की धारा–116 मे विनिर्दिष्ट साईनबोर्ड प्रतिबधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य मे भी जगह–जगह पर आई0आर0 सी0 कोड के मानक अनुसार संबधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वे रात्रि मे भी चमके इसके लिए रेट्रो रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 मे विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनो पर लागू नही होगा–
(अ) अग्निशमन वाहन।
(ब) एम्बुलेन्स।
(स) पुलिस वाहन।
(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने मे लगे सैन्य बल तथा अर्ध्द सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम –3 मे उल्लिखित स्थानों को छोडकर जनपद के सभी मार्गो व अन्य क्षेत्रों(नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर) मे केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988,(1988 का 59) कीधारा–112 की उपधारा(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय –समय पर यथा संशोधन द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्री प्राधिकारी, जनपद–भदोही।

पृ0सं0 682 (1) समदिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(यातायात)यातायात निदेशालय, उ0 प्र0।
3. जिलाधिकारी, भदोही।
4. पुलिस अधीक्षक, भदोही।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी।
6. संभागीय परिहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन) मीरजापुर।
7. जिला सूचनाधिकारी भदोही को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त सूचना को जनहित मे दैनिक समाचार पत्रों के अगले अंक मे निःशुल्क प्रकाशित कराने काकष्ट करें।
8. निदेशक, छपाई मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट मे प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. अधिशासी अभियन्ता,प्रान्ती खण्ड/निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, भदोही।
10. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी) लखनऊ उ0प्र0।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/

Scanned by CamScanner